झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–7439 दिनांक–01.12.2017 के प्रावधानों के आलोक में कनीय अभियंता (असैनिक/विधुत/यांत्रिक) के पदों पर तीन वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों से वर्ष 2017 में पास आउट डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के कैम्पस सलेक्शन के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

37 03/01/18

कैम्पस सलेक्शन हेतु कनीय अभियंता (असैनिक/विधुत/यांत्रिक) के पदों की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण					शैक्षणिक योग्यता	सेवा	संविदा अवधि	मासिक मानदेय
			अना0	अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अ0 पि0 वर्ग -I	पि0 वर्ग–II				
1	कनीय अभियंता (असैनिक)	93	46	27	10	08	02	झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान से वर्ष 2017 में असैनिक संकाय में उत्तीर्ण।	संविदा आधारित	संविदा अवधि 03 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो।	28,755/-
2	कनीय अभियंता (विधुत)	23	11	06	03	01	02	झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान से वर्ष 2017 में विधुत संकाय में उत्तीर्ण।	संविदा आधारित	संविदा अवधि 03 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो।	28,755/-
3	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	25	12	07	02	02	02	झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान से वर्ष 2017 में यांत्रिक संकाय में उत्तीर्ण।	संविदा आधारित	संविदा अवधि 03 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो।	28,755/-

2. आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

(1) आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक–01.08.2017 को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 के अनुरूप होगी।

उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 के अनुरूप होगा।

(2) अभ्यर्थी विहित प्रपत्र (अनुलग्न) में आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करेंगे।

(3) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पर राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य की अनुशंसा आवश्यक होगी।

(4) वैसे अभ्यर्थी, जो झारखण्ड राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान से वर्ष 2017 में पास आउट हैं, के द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(5) झारखण्ड राज्य के निवासी, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उनके द्वारा निम्नांकित अभिलेख समर्पित किया जाना आवश्यक होगा :–

(i) जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में)।

(ii) झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का विहित प्रमाण पत्र (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत)।

(6) वैसे अभ्यर्थी, जो निःशक्त कोटि में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, वे विहित प्रपत्र में निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(7) परीक्षा शुल्क की राशि 500/– रूपये का भुगतान RTGS के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

बैंक का नाम :–	Union Bank of India
शाखा:–	Argora, Vasundhara Megamart, Argora Bypass Road, Argora, Doranda, Ranchi-834002
खाता संख्या :–	708202010001816

खाता धारक का नाम :– M/S GENERAL MANAGER JUIDCO LTD

आई0एफ0एस0सी0 कोड :– UBIN0570826

(8) इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र में आॅनलाईन अभ्यावेदन निम्नांकित Web Address पर दिनांक–15.01.2018 के पूर्व समर्पित किया जाएगा :–

"juidco.jharkhand.gov.in" under "Resources" head at "Job opportunities"

समर्पित अभ्यावेदन की हार्ड कॉपी, आवेदक संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, जहाँ से वे उत्तीर्ण हुए हों, के प्राचार्य से सत्यापित करायेंगे।

संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य सभी इच्छुक आवेदकों से विहित अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए, उसके सत्यापन के पश्चात समेकित सूची दिनांक–15.01.2018 तक विशेष दूत के माध्यम से निम्नांकित पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे :–

श्री कौशल किशोर झा,
अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
कमरा संख्या–439, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची–834004

(9) दिनांक–15.01.2018 के पश्चात प्राप्त होनेवाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विलम्ब के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(10) अपूर्ण एवं अस्पष्ट भरे हुए आवेदनों पर किसी भी रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

(11) अभ्यर्थियों के परीक्षा में सम्मिलित होने के क्रम में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. संविदा की सेवा शर्तें :–

(1) उपर्युक्त कंडिका–1 में दर्शाये गये रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा।

(2) उपर्युक्त दर्शाये गये रिक्त पदों को मेधा सूची के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप भरा जाएगा।

(3) उक्त सेवायें संविदा के आधार पर 03 वर्षों अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए भरा जाएगा।

(4) औपचारिक संविदा अवधि अनुबंध की तिथि से प्रभावी होगी।

(5) चयनित कनीय अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार एवं नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) झारखण्ड सरकार में लागू आरक्षण के प्रावधान प्रभावी होंगे।

(7) चयनित उम्मीदवारों को नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

(8) उपर्युक्त चयनित उम्मीदवारों की सेवा पूर्ण रूप से संविदा आधारित होगी एवं किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा नियमित पद पर समायोजन तथा अवधि विस्तार का दावा अमान्य होगा।

(9) आवेदन पत्रों के प्रारम्भिक स्क्रुटनी के पश्चात Shortlisted अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन हेतु संक्षिप्त लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि, समय एवं स्थान की सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा यथा समय सूचित किया जाएगा।

ह0/- 2/01/18

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01/सा0स्था–40/2017 न0वि0आ0 37 राँची, दिनांकः– 03/01/18

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, आई0टी0 विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

ह0/- 2/01/18

सरकार के अवर सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी अभियंताओं की कैम्पस सलेक्शन द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित आवेदन प्रपत्र

आवेदित पद का नाम– कनीय अभियंता (असैनिक/विद्युत/यांत्रिक) ....

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (पासपोर्ट साईज)

(i) अभ्यर्थी का नाम..

(ii) पिता/पति का नाम..लिंग..................................

(iii) जन्म तिथि (मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर)..

(iv) आरक्षण कोटि (UR, ST, SC, EBC-I, BC-II)...
निःशक्तजन (हाँ या नहीं)......................... यदि हाँ तो, निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत..

(v) स्थायी पता..
....पिन नं0.......................

(vi) वर्त्तमान पता (पत्राचार का पता)..
....पिन नं0.......................

(vii) डिप्लोमा उत्तीर्णता का वर्ष एवं तिथि..

(viii) संस्थान में प्रवेश का वर्ष...

(ix) संस्थान का नाम ....

(x) विषय (असैनिक/विद्युत/यांत्रिक)...

(xi) डिप्लोमा का प्राप्तांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत..

(xii) अभ्यर्थी डिप्लोमा के निरन्तर वर्षों में उत्तीर्ण हैं अथवा किसी विषय में पेपर बैक हुए हैं (हाँ/नहीं) ....

(xiii) मैट्रिक उत्तीर्णता का वर्ष एवं प्राप्तांक का प्रतिशत....................................

(xiv) RTGS के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क का विवरण............

(xv) अभ्यर्थी का ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल संख्या:.......................................

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि ....

स्थान ....

संस्थान के प्राचार्य का सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमती.......................................जिसके द्वारा वर्ष 2016–17 की पोलिटेकनिक परीक्षा में शामिल होने की परीक्षा पंजीयन संख्या.............. है, के द्वारा आवेदन में अंकित उपर्युक्त सूचना का मिलान इस संस्थान के अभिलेख से किये जाने पर सत्य पाया गया है।

प्राचार्य का हस्ताक्षर

नाम...........................

संस्थान का मुहर

घोषणा/शपथ

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई सूचना सत्य है एवं भविष्य में यदि किसी तरह की गलती पायी गई, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होउंगा/होउंगी तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक–................

स्थान–.............

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/कागजात की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति :

1. मैट्रिकुलेशन का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र।
2. डिप्लोमा का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र।
3. जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में)।
4. आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में झारखण्ड के स्थानीय निवासी का विहित प्रमाण पत्र (कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत)।
5. निःशक्त होने की स्थिति में, निःशक्तता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में)।
6. जमा किये गये परीक्षा शुल्क की पावती रसीद की छायाप्रति।

Annexure – 2 (A)

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथि:–...................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ....डाकघर.......................... थाना .... जिला .... राज्य.......... .... अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................. जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणत: गांव/कस्बा.................................., शहर................................, जिला.........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमश: संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

Annexure-2 (A)

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

Annexure – 2 (B)

21

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री... पता–ग्राम/वार्ड/शहर... ... पो0..थाना..................................... जिला... .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

Annexure-2(C)

107

अनुबन्ध- 1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयु .... लिंग .... पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी-अंधापन

(ii) पी बी – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को काट दें-जो लागू न हो)

2. यह स्थिति नें प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .... वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है :-

(i) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है। हाँ/नहीं

(ii) पी पी – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(iv) के सी – घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(vii) एस टी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(ix) एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(xi) आर.डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साअधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

❖ जो लागू न हो काट दें।